



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर

Contact No. 0151-2226017

E-mail - ddbikaner.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2026-27/ रैफरेन्स संख्या

दिनांक:-यथाहस्ताक्षर

--: विज्ञप्ति संख्या 01/2026 ::--

बीकानेर जिले के अधीन आंगनवाडी केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्ता/आंगनवाडी सहायिका, मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क.स.	बाल विकास परियोजना, कार्यालय का नाम	ई-मेल आईडी	रिक्त पदों की संख्या		कुल रिक्त पदों की संख्या
			आ.बा.कार्यकर्ता	सहायिका	
1	बीकानेर शहर	cdpo.bikanercity@rajasthan.gov.in	07	07	14
2	कोलायत	icds.kolayat@rajasthan.gov.in	01	05	06
3	बीकानेर ग्रामीण	icds.bikanerrural@rajasthan.gov.in	05	09	14
4	श्रीदुंगरगढ़	icds.dungargarh@rajasthan.gov.in	04	07	11
5	बज्जु खालसा	ICDS.BAJJU@rajasthan.gov.in	02	05	07
6	पांचू	icds.panchoo@rajasthan.gov.in	04	04	08
7	खाजुवाला	icds.khajuwala@rajasthan.gov.in	01	05	06
8	नोखा	icds.nokha@rajasthan.gov.in	01	05	06
9	लुनकरणसर	icds.loonkaransar@rajasthan.gov.in	01	03	04
10	पूगल	cdpopoogle@gmail.com	02	06	08
कुल			28	56	84

नोट:- ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनवाडी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनवाडी कार्यकर्ता/आंगनवाडी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

शर्तें:-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही आवेदन के पात्र हैं।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित-प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्रोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनवाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्व.प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आ.बा.कार्यकर्ता के रूप में कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्व.प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

RajKaj Ref No.:

22651629

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi

Designation: Deputy Director

Date: 2026.06.04 17:48:17 IST

Reason: Approved

11. बिंदु संख्या 8, 9 तथा 10 के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र दिया जाएगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
12. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (कोई भी दो) (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
15. विज्ञप्ति संख्या 01/2026 हेतु नवीन आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 08.06.2026 प्रातः 10:30 बजे से 07.07.2026 को सांय 06:00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
17. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in/icds/#/home/dptHome> पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
18. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
19. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10561 रुपये तथा सहायिका को 6291 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देय है।

(सुभाष बिश्नोई)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

बीकानेर

दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

क्रमांक:- मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2026-27/रैफरेन्स संख्या

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
4. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला बीकानेर।
5. उप निदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बीकानेर।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त बीकानेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी मानदेय सेवा में चयन करने के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 12.01.2023, संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 01.10.2024 में वर्णित चयन हेतु प्रसारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत मानदेय कर्मियों के चयन की प्रक्रिया सम्पादित करें। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाये जाने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. संपादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर, बीकानेर को देकर लेख है कि नियमानुसार डीआईपीआर की अनुमोदित दरों एवं निर्धारित न्यूनतम स्पेस में बीकानेर जिले की सभी तहसीलों में उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित करने का श्रम करें।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi

Designation: Deputy Director

Date: 2026.06.04 17:48:17 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

22651629

M e-Sign



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर

Contact No. 0151-2226017

E-mail – ddbikaner.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2026-27/रैफरेन्स संख्या

दिनांक:- यथा हस्ताक्षर

—:: विज्ञप्ति संख्या 01/2026 ::—

बीकानेर जिले के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका, मानदेयसेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

कार्यालय, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर विज्ञप्ति संख्या 01/2026 दिनांक 04.06.2026

क्र. सं.	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र कोड	सेक्टर	वार्ड नम्बर/ राजस्व गांव	ग्राम पंचायत/ नगरपालिका	रिक्त पद का विवरण		आरक्षण श्रेणी एस.सी./ एस.टी./ अल्पसंख्यक/ सामान्य
							आं.बा. कार्यकर्ता	सहायिका	
01	बीकानेर शहर	52-1	8101010131	A	66	नगर निगम बीकानेर	1	—	अल्पसंख्यक
		50-1	8101010127	A	52	नगर निगम बीकानेर	1	—	—
		32-1	8101010123	A	76	नगर निगम बीकानेर	—	1	—
		6	8101010235	B	2	नगर निगम बीकानेर	1	—	—
		24-1	8101010232	B	47	नगर निगम बीकानेर	1	—	—
		18-1	8101010221	B	44	नगर निगम बीकानेर	—	1	—
		36-1	8101010321	C	8	नगर निगम बीकानेर	1	—	—
		43-2	8101010338	C	35	नगर निगम बीकानेर	1	—	एस.सी
		40-5	8101010332	C	10	नगर निगम बीकानेर	—	1	—
		43-2	8101010338	C	35	नगर निगम बीकानेर	—	1	एस.सी
		54-2	8101010424	D	67	नगर निगम बीकानेर	—	1	अल्पसंख्यक
		57-2	8101010440	D	41	नगर निगम बीकानेर	—	1	—
		54-3	8101010425	D	69	नगर निगम बीकानेर	1	—	—
		44-2	8101010408	D	13	नगर निगम बीकानेर	—	1	—
		योग					07	07	
02	कोलायत	जैतुगों की ढाणी	8101060625	गड़ियाला	जैतुगों की ढाणी	शंभू का भुर्ज	—	1	—
		शंभू का भुर्ज	8101060615	गड़ियाला	शंभू का भुर्ज	शंभू का भुर्ज	—	1	—
		लुम्बासर	8101060426	गजनेर	लुम्बासर	खारी चारणान	—	1	—
		बलाला	8101060424	गजनेर	बलाला	चाण्डासर	—	1	—
		भोम अखेसिंह	8101060529	दियातरा	टोकला	टोकला	—	1	—
		हदां बी	8101060307	अक्कासर	हदां	हदां	1	—	—
		योग							

RajKaj Ref No.: 22651629

M e-Sign



Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation: Deputy Director
Date: 2026.06.04 17:48:17 IST
Reason: Approved

03	बीकानेर ग्रामीण	आम्बासर 02	08101020802	देशनोक	आम्बासर	आम्बासर	-	1	एस.सी
		खारा 02	08101020318	जामसर	खारा	खारा	-	1	-
		खींचिया	08101020319	जामसर	खींचिया	जलालसर	1	-	एस.सी
		लालसर	08101020320	जामसर	लालसर	दाउदसर	-	1	अल्पसंख्यक
		मूंडसर 04	08101020507	नापासर	मूंडसर	मूंडसर	-	1	-
		नापासर 03	08101020510	नापासर	वार्ड न. 02	नगरपालिका नापासर	1	-	एस.सी
		नापासर 05	08101020512	नापासर	वार्ड न. 22	नगरपालिका नापासर	-	1	-
		बेलासर 01	08101020501	नापासर	बेलासर	बेलासर	-	1	-
		रामसर 01	08101020518	नापासर	रामसर	रामसर	-	1	-
		रामसर 04	08101020518	नापासर	रामसर	रामसर	-	1	-
		बम्बलू वार्ड न. 11	08101020403	नौरंगदेसर	बम्बलू	बम्बलू	1	-	-
		केसरदेसर गंगागुरान	08101020901	गाढवाला	केसरदेसर गंगागुरान	केसरदेसर जाटान	1	-	-
		राजपूतो की ढाणी	08101021006	नाल	राजपूतो की ढाणी	नाल बड़ी	-	1	-
		केसरदेसर जाटान 02	08101020918	गाढवाला	केसरदेसर जाटान	केसरदेसर जाटान	1	-	-
		योग						05	09
04	श्रीडूंगरगढ़	जाखासर ए	08101040317	रीडी बी	जाखासर	जाखासर	1	-	-
		बरजांगसर ए	08101040305	रीडी बी	बरजांगसर	बरजांगसर	-	1	एससी
		कीतासर बी	08101040908	तौलियासर	कीतासर बीदावतान	कीतासर बीदावतान	-	1	-
		वार्ड न. 10	08101040710	श्रीडूंगरगढ़ 01	वार्ड न. 10	नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़	1	-	अल्पसंख्यक
		बिग्गा ई	08101040728	श्रीडूंगरगढ़ 01	बिग्गा	बिग्गा	-	1	-
		भोजासर	08101040811	श्रीडूंगरगढ़ 02	भोजासर	भोजासर	-	1	-
		सालासर	08101040820	श्रीडूंगरगढ़ 02	सालासर	पुन्दलसर	1	-	-
		रीडी 01	08101040522	रीडी ए	रीडी	रीडी	-	1	-
		सेरुणा सी	08101040621	सेरुणा	सेरुणा	सेरुणा	-	1	-
		मणकरासर	08101040615	सेरुणा	मणकरासर	समन्दसर	-	1	-
		पुन्दलसर ए	08101040818	श्रीडूंगरगढ़ 02	पुन्दलसर	पुन्दलसर	1	-	-
		योग							
05	बज्जू खालसा	शास्त्री नगर	8101110121	बज्जू	शास्त्री नगर	मोडासर	Digitally signed by Subhash Bishnoi Designation: Deputy Director Date: 2026.06.04 17:48:17 IST		
		बैरा दैदावतान	8101110104	बज्जू	बैरा दैदावतान	नगरपालिका			

M e-Sign

		बीकोलाई	8101110316	बीकमपुर	बीकोलाई	बीकमपुर	-	1	-
		भडल	8101110317	बीकमपुर	गोगडियावाला	गोगडियावाला	1	-	-
		डंडखुर्द	8101110219	बरसलपुर	डंडखुर्द	बिजेरी	-	1	-
		15 सीडब्लूबी	8101110404	गौड़	भरतसिंहपुरा	फूलासर छोटा	-	1	-
		गज्जेवाला ए	8101110416	गौड़	गज्जेवाला	गज्जेवाला	-	1	-
		योग					02	05	
06	पांचू	देसलसर 04	8101090114	जागलू	देसलसर भाटीयान	देसलसर	1	0	-
		पारवा 2	8101090126	जागलू	पारवा	पारवा	0	1	-
		कूदसू 3	8101090423	पाचू	कूदसू	कूदसू	1	0	-
		किशनासर 2	8101090417	पाचू	किशनासर	किशनासर	1	0	-
		किशनासर 3	8101090418	पाचू	किशनासर	किशनासर	0	1	-
		साधूणा 02	8101090519	सारुण्डा	साधूणा	साधूणा	1	0	-
		सारुण्डा 05	8101090505	सारुण्डा	सारुण्डा	सारुण्डा	0	1	-
		सिद्ध खिलेरीयो की ढाणी कक्कू	8101090206	कक्कू	कक्कू	कक्कू	0	1	-
		योग					04	04	-
07	खाजुवाला	2एमएमडब्ल्यूएम	08101050516	खारवाली	लूणखां	लूणखां	-	1	अल्पसंख्यक
		रानेर 3	08101050524	खारवाली	रानेर	रानेर	-	1	-
		4आरजेडी	08101050547	खारवाली	4आरजेडी	1 केएम	-	1	अल्पसंख्यक
		गुलामअलीवाला	08101050219	दस्तार	गुलामअलीवाला	2केएलडी	-	1	-
		3एसएसएम 2	8101050460	19 केजेडी	31 केवाईडी	34 केवाईडी	-	1	एस.सी
		14 बीडी 1	8101050311	17 केवाईडी	14 बीडी	14 बीडी	1	-	-
		योग					01	05	
08	नोखा	सिंधु	8101081110	सिंजगुरु	सिंधु	मोरखाना	1	0	-
		घटटू 01	8101081106	सिंजगुरु	घटटू	सलुण्डिया	0	1	-
		वार्ड सख्या 05 नोखा	8101080805	नोखा ए	वार्ड 05 (पुराना)	नोखा	0	1	-
		झाडेली 03	8101080120	जसरासर	झाडेली	झाडेली	0	1	एस.सी
		सिनियाला	8101081217	कूचौर अथूनी	सिनियाला	सिनियाला	0	1	-
		गोन्दूसर 02	8101081009	मैनसर	गोन्दूसर	गोन्दूसर	0	1	-
		योग					01	05	
09	लूनकरणसर	सहजरासर 1	08101070407	कालु	सहजरासर	सहजरासर			
		खारी 2	08101070419	कालु	खारी	कुजटी			
		लूनकरणसर 9	08101070509	लूनकरणसर	लूनकरणसर वार्ड 32 (परिसिमन पुरा)	लूनकरणसर			

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation: Deputy Director
Date: 2026.06.04 17:48:17 IST
Reason: Approved

		लुनकरणसर 2	08101070502	लुनकरणसर	लुनकरणसर वार्ड नं 35, 40, 41 (परिसिमन पूर्व)	लुनकरणसर	0	1	-
		योग					01	03	
10	पूगल	मोतीगढ-1	8101100502	सतासर	मोतीगढ	मोतीगढ	1	0	-
		गुलामवाला	8101100117	छतरगढ ए	छतरगढ	छतरगढ	0	1	अल्पसंख्यक
		अमरपुरा-2	8101100315	पूगल ए	अमरपुरा	अमरपुरा	0	1	एस.सी
		गोगलीवाला	8101100422	पूगल बी	गोगलीवाला	आडुरी	1	0	अल्पसंख्यक
		9 आरडी	8101100114	छतरगढ ए	छतरगढ	छतरगढ	0	1	अल्पसंख्यक
		अक्कावालाडे	8101100115	छतरगढ ए	छतरगढ	छतरगढ	0	1	अल्पसंख्यक
		कृष्ण नगर	8101100211	छतरगढ बी	कृष्ण नगर	कृष्ण नगर	0	1	-
		सतासर-2	8101100512	सतासर	सतासर	सतासर	0	1	-
		योग					02	06	
कुल योग						28	56		

नोट:- ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनबाड़ी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

शर्त:-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विवाहित और अविवाहित दोनों ही आवेदन के पात्र हैं।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित- प्रमेस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- बिंदु संख्या 8, 9 तथा 10 के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2023 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत नहीं किया जाता।

Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi

Designation: Deputy Director

Date: 2026.06.04 17:48:17 IST

Reason: Approved

M e-Sign

- हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र दिया जाएगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
12. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
 13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (कोई भी दो) (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
 14. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
 15. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः : दिनांक 08.06.2026 प्रातः 10:30. बजे से 07.07.2026 को सांय 06:00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
 16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
 17. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in/icds/#/home/dptHome> पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
 18. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(सुभाष बिश्नोई)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बीकानेर
दिनांक:- यथा हस्ताक्षर

क्रमांक:- मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2026-27/रैफरेन्स संख्या
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
4. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बीकानेर।
5. उप निदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यालय की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बीकानेर।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त बीकानेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी मानदेय सेवा में चयन करने के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 12.01.2023, संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 01.10.2024 में वर्णित चयन हेतु प्रसारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत मानदेय कर्मियों के चयन की प्रक्रिया सम्पादित करें। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाये जाने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation: Deputy Director
Date: 2026.06.04 17:48:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22651629
Me-Sign